

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

## मांग संख्या 91

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	2765.23	353.51	3118.74	4568.80	357.54	4926.34	4420.21	337.81	4758.02	4569.85	365.68	4935.53	
पूँजी	4.72	...	4.72	17.20	...	17.20	15.79	...	15.79	16.15	...	16.15	
जोड़	2769.95	353.51	3123.46	4586.00	357.54	4943.54	4436.00	337.81	4773.81	4586.00	365.68	4951.68	
<b>सांख्यिकी</b>													
1. सचिवालय – आर्थिक सेवा	3451	...	14.67	14.67	...	16.96	16.96	...	16.19	16.19	...	17.56	17.56
<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>													
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	3454	...	182.62	182.62	...	192.30	192.30	...	187.06	187.06	...	202.43	202.43
3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	3454	90.54	25.35	115.89	161.92	26.66	188.58	142.95	26.03	168.98	140.79	28.16	168.95
4. भारतीय सांख्यिकीय संगठन	3454	20.00	120.16	140.16	37.80	110.00	147.80	42.00	97.18	139.18	38.70	105.22	143.92
5. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3454	2.91	...	2.91	10.00	...	10.00	6.00	...	6.00	6.30	...	6.30
6. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी													
6.01 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – सामान्य घटक	3454	1.74	5.99	7.73	...	6.56	6.56	...	6.38	6.38	...	6.91	6.91
	3601	28.33	...	28.33	176.87	...	176.87	167.02	...	167.02	336.78	...	336.78
	3602	0.67	...	0.67	2.54	...	2.54	2.76	...	2.76	5.18	...	5.18
	5475	4.72	...	4.72	17.20	...	17.20	15.79	...	15.79	16.15	...	16.15
जोड़		35.46	5.99	41.45	196.61	6.56	203.17	185.57	6.38	191.95	358.11	6.91	365.02
6.02 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – ईएपी घटक	3601	113.36	...	113.36	152.00	...	152.00	50.71	...	50.71	24.00	...	24.00
	3602	...	...	...	8.00	...	8.00	1.60	...	1.60	...	...	...
जोड़		113.36	...	113.36	160.00	...	160.00	52.31	...	52.31	24.00	...	24.00
जोड़- आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी		148.82	5.99	154.81	356.61	6.56	363.17	237.88	6.38	244.26	382.11	6.91	389.02
7. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	64.67	...	64.67	57.17	4.97	62.14	47.10	5.40	52.50
8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए ईएपी घटक	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16.00	...	16.00
<b>जोड़-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>		262.27	334.12	596.39	631.00	335.52	966.52	486.00	321.62	807.62	631.00	348.12	979.12

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>जोड़-सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन</b>													
9. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	4.72	4.72	...	5.06	5.06	...	...	...	...	...	
<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>													
10. राज्य सहायता आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता - विशेष केन्द्रीय सहायता													
10.01 संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना	2553	2507.68	...	2507.68	3955.00	...	3955.00	3950.00	...	3950.00	3955.00	...	3955.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>2769.95</b>	<b>353.51</b>	<b>3123.46</b>	<b>4586.00</b>	<b>357.54</b>	<b>4943.54</b>	<b>4436.00</b>	<b>337.81</b>	<b>4773.81</b>	<b>4586.00</b>	<b>365.68</b>	<b>4951.68</b>
<b>विकास शीर्ष</b>		<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>
<b>ग. योजना परिव्यय केन्द्रीय योजना:</b>													
1. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	262.27	...	262.27	566.33	...	566.33	428.83	...	428.83	567.90	...	567.90
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	64.67	...	64.67	57.17	...	57.17	63.10	...	63.10
<b>जोड़ - केन्द्रीय योजना</b>		<b>262.27</b>	<b>...</b>	<b>262.27</b>	<b>631.00</b>	<b>...</b>	<b>631.00</b>	<b>486.00</b>	<b>...</b>	<b>486.00</b>	<b>631.00</b>	<b>...</b>	<b>631.00</b>
<b>राज्य योजना:</b>													
1. अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	43601	2507.68	...	2507.68	3955.00	...	3955.00	3950.00	...	3950.00	3955.00	...	3955.00
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		<b>2507.68</b>	<b>...</b>	<b>2507.68</b>	<b>3955.00</b>	<b>...</b>	<b>3955.00</b>	<b>3950.00</b>	<b>...</b>	<b>3950.00</b>	<b>3955.00</b>	<b>...</b>	<b>3955.00</b>
<b>जोड़</b>		<b>2769.95</b>	<b>...</b>	<b>2769.95</b>	<b>4586.00</b>	<b>...</b>	<b>4586.00</b>	<b>4436.00</b>	<b>...</b>	<b>4436.00</b>	<b>4586.00</b>	<b>...</b>	<b>4586.00</b>

1. **सचिवालय आर्थिक सेवा:** मंत्रालय और राज्य मंत्री के कार्यालय के सचिवालयीन व्ययों के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन:** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का संबंध आंकड़ा संग्रहण के लिए एक समुचित तथा बुनियादी रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने से है, जो कि नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में आंकड़ा अंतराल को भरने के लिए बनाया गया है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की ओर से आंकड़ों के संग्रहण और सारणीयन का कार्य भी करता है।

3. **केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन:** केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के लिए प्रावधान किया गया है जो कि मानकीकरण बनाने, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्टें प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण आदि के रीतिविधान कार्यों सहित कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार है।

4. **भारतीय सांख्यिकीय संस्थान:** भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, अनुसंधान, प्रशिक्षण और सांख्यिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के समन्वित कार्यक्रम चलाता है। इस संस्थान का वित्त पोषण लगभग पूर्णतः सरकार द्वारा अनुदान सहायता से किया जाता है।

5. **कार्यक्रम कार्यान्वयन:** कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के निष्पादन प्रबंधन के लिए प्रावधान किया गया है।

6. **आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी:** संगणक केन्द्र के लिए प्रावधान किया गया है जो मुख्यतया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा प्रसंस्करण संबंधी जरूरतों को देखता है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्तज प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।
9. **सचिवालय-सामान्य सेवा:** कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिवालय के स्थापना-संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
10. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:** सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है और इसे राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के हिस्से के रूप में योजना में शामिल किया गया है।